17/5/18

पत्रावली आज राजस्व मामले सुनवाई - नाम अपील वाद संख्या 208 मय गैरदी के पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली पर वादी/अपीलार्थी [illegible] के द्वारा अपील पत्र प्रस्तुत किये गये अपील पत्र में वाद का विषय विवादित दर्शाया है अपनी हकियत के पक्ष में [illegible] के हुक्मनामे की नकल पेश की है एक अपील पत्र में वाद का विषय भिन्न है अपील पत्र में वादी के नाम का [illegible] के हेतु अपील पत्र लौटाया जाये। वादी/अपीलार्थी के विरोध पर अपीलार्थी का अपील पत्र RTA की धारा [illegible] के अन्तर्गत पत्रावली के सम्बन्धित मूल वाद की नकल वादी/अपीलार्थी के विरोध पर वादी के द्वारा दी पत्रावली में अन्य कोई अपील लम्बित नहीं है अतः पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुदा होकर वाद वकील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official